न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कैलाश बैरवा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2020
रजि.संख्या : 2020/00033

प्रार्थी :–

राजस्थान राज्य जरिये,
प्रवर्तन निरीक्षक गढी ,
जिला रसद कार्यालय
बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री वीरेन्द्र जैन पिता स्व. रमेश चन्द्र जैन निवासी जैन मोहल्ला लोहारिया तहसील गढी
2. श्री कमलेश पिता नरसिंह निवासी खडदेव तहसील आंबापुरा (वाहन चालक व हॉकर)
3. श्री कल्पेश जैन पिता रमेश चन्द्र जैन निवासी 1–बी–19 हाउसिंग बोर्ड बॉसवाडा पार्टनर फर्म मैसर्स शहीद रामचन्द्र एच.पी गैस सर्विस बॉसवाडा
4. श्रीमति कांता देवी पत्नि स्व.रामचन्द्र पारगी शहीद भवन पुलिस चौकी शेरगढ के पास बॉसवाडा, पार्टनर फर्म मैसर्स शहीद रामचन्द्र एच. पी गैस सर्विस बॉसवाडा

आदेश

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित लिक्युफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000

दिनांक :– 18.06.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2020 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम लोहारिया स्थित श्री वीरेन्द्र जैन पिता स्व. रमेश चन्द्र जैन निवासी जैन मोहल्ला के निवास पर पहुच कर प्रवर्तन निरीक्षक गढी द्वारा आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर श्री वीरेन्द्र जैन की उपस्थिति में उनके निवास परिसर में स्थित कमरे का निरीक्षण करने पर उसमे 107 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यवसायिक सिलेण्डर भण्डारित मिले। उक्त 107 घरेलु गैस सिलेण्डरो (14.2 किलोग्राम भराव क्षमता) मे से एच.पी कम्पनी के 37 खाली व 38 भरे हुए, इण्डेन कम्पनी के 3 खाली व 9 भरे तथा भारत कम्पनी के 15 खाली व 5 गैस सिलेण्डर भरे हुए थे। इसके साथ ही 3 व्यवसायिक सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के भरे हुए एवं एक विधुत मोटर जिसमे प्लास्टिक के पाईप के जरिये रेग्युलेटर लगा हुआ था भी रखे हुए पाये गये। उक्त विधुत मोटर गैस रिफिल करने के उद्देश्य से तैयार की गई पायी। उक्त भरे हुए 52 सिलेण्डरो में 792.400 किलोग्राम द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

भण्डारित मिली। वीरेन्द्र जैन से उक्त गैस सिलेण्डरो की वैधता एवं ज्वलनशिल गैस के भण्डारण की अनुज्ञप्ति दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नही किये। श्री वीरेन्द्र जैन के निवास के बाहर एक वाहन टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 03 जीए 3475 खडा मिला जिसमें एच.पी. कम्पनी के 35 घरेलु गैस सिलेण्डार भरे 495.300 किलोग्राम के एवं 32 घरेलु गैस सिलेण्डर खाली रखे मिले। इस वाहन पर मौजुद व्यक्ति द्वारा अपना नाम श्री कमलेश पिता नरसिंह निवासी खडदेव तहसील आंबापुरा बताया एवं स्वयं को वाहन का चालक एवं हॉकर बताया। इस वाहन में रखे सिलेण्डरो को श्री वीरेन्द्र जैन के मकान में खाली किया जा रहा था। वाहन चालक ने स्वयं को मैसर्स शहीद रामचन्द्र गैस सर्विस दाहोद रोड बॉसवाडा का हॉकर बताया एवं दिनांक 24.04.2020 को उक्त गैस एजेन्सी के गोदाम से 120 गैस सिलेण्डर लेकर आना बताया एवं उक्त गैस सिलेंडरो बाबत् बिल/वाउचर व चालान मांगने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। श्री कमलेश वाहन चालक एवं हॉकर तथा गैस एजेन्सी मैसर्स शहीद रामचन्द्र एच.पी. गैस सर्विस बॉसवाडा द्वारा बिना दस्तावेज व बिलो के अपने उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरो की आपुर्ति करने के बजाय श्री वीरेन्द्र जैन के यहॉ घरेलु गैस सिलेण्डर खाली किये जा रहे थे। श्री वीरेन्द्र जैन के निवास की तलाशी के दौरान 82 घरेलु गैस उपभाक्ताओं की डायरियॉ एवं इजी कार्ड भी मिले जो शहिद रामचन्द्र गैस सर्विस बॉसवाडा द्वारा जारी की गई जो नियमानुसार उपभाक्ताओं के पास होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जॉच में श्री वीरेन्द्र जैन, श्री कमलेश वाहन चालक, एवं फर्म शहीद रामचन्द्र गैस सर्विस पार्टनर श्री कल्पेश जैन एवं कान्ता देवी द्वारा आपस में मिलीभगत कर घरेलु गैस सिलेंडरो की कालाबाजारी करने की नीयत से अवैध भण्डारण एवं व्यापार की आशंका पर मौके पर पाये गए 177 गैस सिलेण्डर मय उनमे भण्डारित घरेलू गैस 1287.7 किलोग्राम, विधुत मोटर, 82 घरेलू गैस उपभोक्ता डायरी व वाहन रजि. नंबर आर.जे.03 जीए 3475 को जब्त किया। जब्तशुदा 177 गैस सिलेण्डर मय उनमे भण्डारित घरेलू गैस 1287.7 किलोग्राम, विधुत मोटर को श्री राजेन्द्र कुमार पिता शान्तिलाल जैन निवासी पालोदा मैनेजर मैसर्स दिव्य ज्योति भारत गैस पालोदा को सुपूर्दगी में दिये एवं जब्तशुदा वाहन को पुलिस थाना, लोहारिया की अभिरक्षा में दिया। इस प्रकार प्रर्वतन निरीक्षक ने जब्त किये गये 177 गैस सिलेण्डर मय उनमे भण्डारित घरेलू गैस 1287.7 किलोग्राम, विधुत मोटर एवं वाहन टाटा 407 को राजसात करने निवेदन किया।

दिनांक 01.06.2020 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री अनुराग जैन व अप्रार्थी सं. 3,4 की ओर से श्री राजकुमार जैन अभिभाषक का वकालातनाम प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं.2 का नोटिस सम्यक रुप से तामील नही होकर प्राप्त हुआ। अतः पुनः नोटिस जारी करने आदेश दिये। इसी दिनांक को अप्रार्थी सं.1,3,4 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसकी प्रति विभागिय पैरोकार को दी गई। एवं 64 उपभोक्ताओं की ओर से अलग अलग चार प्रार्थना पत्र खाली गैस सिलेंडर उनको सुपूर्दगी में देने प्राप्त हुए जिसकी प्रति विभागीय पैरोकार को दी गई। जब्तशुदा वाहन को जमानत पर सुपूर्दगी में देने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसकी प्रति भी प्रार्थी को दी गई।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीयों को जरिये समन तलब किया।

दिनांक 04.06.2020 को अप्रार्थी सं 1,3,4 के अभिभाषक एवं अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित। चूंकि अप्रार्थी सं 2 का नोटिस सम्यक रुप से तामील होकर प्राप्त नही होने से पुनः नोटिस जारी

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

करने के आदेश दिये गये। जब्तशुदा वाहन को जमानत पर सुपूर्दगी में देने के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक एवं विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 3,4 की ओर से बहस में कथन किया कि फर्म शहीद रामचन्द्र एच.पी गैस सर्विस के स्वामित्व का वाहन आर.जे.03 जीए 3475 टाटा 407 फर्म के व्यवसाय गैस सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में आता है। इसके अलावा उक्त वाहन किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त नही होता है। उक्त वाहन के अभाव में फर्म को एच.पी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओ को वितरण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अन्य वैकल्पित व्यवस्था करने पर गैस सिलेंडरो को सावधानी पूर्वक परिवहन करना संभव नही है। उक्त वाहन प्रार्थी की फर्म के गैस सिलण्डरो के वितरण हेतु लोहारिया भेजा गया था। वाहन में 105 सिलेंडर गोदाम से भरकर गेट पास के साथ रवाना किया गया था। सिलेण्डरो का अवैध व्यापार व भण्डारण नही किया गया है। वाहन के द्वारा अपराध नही किया गया है। वाहन को सुपूर्दगी नही देने की अवस्था में राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी। उक्त वाहन की प्रकरण में अनुसंधान हेतु पुलिस अथवा रसद विभाग को आवश्यकता नही है। वाहन पडे पडे खराब हो जायेगा एवं उसके स्वतः ही नष्ट होने एवं सारी मशीनरी खराब होने की पूर्ण संभावना है। आर.सी बुक एवं इंश्योरेंस फर्म के नाम है। जमानत मिलने पर प्रार्थी फर्म वाहन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नही करेगा तथा उक्त वाहन के पहचान चिन्ह में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नही करेगा। अपनी बहस के समर्थन में 2019 (1) सीआर.एल.आर (राज.) पेज नम्बर 182 विनोद कुमार स्वामी बनाम राजस्थान सरकार, 2018 (2) सीआर.एल.आर (राज.) पेज नम्बर 261 गोपाल सिंह जटसिख बनाम राजस्थान राज्य, न्यायिक उद्दरण भी प्रस्तुत किये। वकील ने पर्याप्त जमानत व सुपूर्दगीनाम पेश करने पर सहमति देते हुए जब्तशुदा वाहन टाटा 407 को जमानत पर रिलीज–सुपूर्द किये जाने निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि दिनांक 24.04.2020 को वाहन पर मौजुद व्यक्ति द्वारा अपना नाम श्री कमलेश पिता नरसिंह निवासी खडदेव तहसील आंबापुरा बताया एवं स्वयं को वाहन का चालक एवं मैसर्स शहीद रामचन्द्र एच.पी. गैस बॉसवाडा का हॉकर बताया। इस वाहन में रखे सिलेण्डरो को श्री वीरेन्द्र जैन के मकान में खाली किया जा रहा था। एवं उक्त गैस एजेन्सी के गोदाम से 120 गैस सिलेण्डर लेकर आना बताया एवं उक्त गैस सिलेण्डरो बाबत् बिल/वाउचर व चालान मांगने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। श्री कमलेश वाहन चालक एवं हॉकर तथा गैस एजेन्सी मैसर्स शहीद रामचन्द्र एच.पी. गैस बॉसवाडा द्वारा बिना दस्तावेज व बिलो के अपने उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरो की आपुर्ति करने के बजाय श्री वीरेन्द्र जैन के यहॉ घरेलु गैस सिलेण्डर खाली किये जा रहे थे।

दिनांक 16.06.2020 को अप्रार्थी सं 2 की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता का वकालत पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस एवं दिनांक 16.06.2020 को अप्रार्थी सं. 3,4 एवं एच.पी.गैस एजेन्सी, प्रियांशु इण्डेन गैस एजेन्सी घाटोल एवं दिव्य भारत गैस ग्रामीण वितरक पालोदा के उपभोक्ताओं की ओर से लिखित बहस के सार पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा एच.पी. कंपनी के 73 भरे 69 खाली घरेलु सिलेण्डर, इण्डेन कंपनी के 9 भरे 3 खाली घरेलु

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

सिलेण्डर एवं 3 भरे हुए व्यवसायिक सिलेण्डर, तथा भारत कंपनी के 5 भरे 15 खाली गैस सिलेण्डर कुल 177 गैस सिलेण्डर गैस मय उनमे भण्डारित घरेलू गैस 1287.7 किलोग्राम, विधुत मोटर को जब्त किया गया है साथ ही सिलेंडर परिवहन हेतु प्रयुक्त टाटा 407 आर.जे.03 जीए 3475 को जॉच दल ने जब्त किया है। पुलिस से प्राथमिकी दर्ज होकर प्रकरण अनुसंधानाधीन है। अनुसंधान मे समय लगने की संभावना एवं तब तक वाहन टाटा 407 के पडे रहने से धूल, धूप, हवा, मिट्टी आदि से खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निम्न शर्तो पर जब्तशुदा टाटा 407 आर. जे.03 जीए 3475 को वाहन स्वामी फर्म शहीद रामचन्द्र एच.पी. गैस सर्विस बॉसवाडा को सुपुर्द करने आदेश दिये जाते है :–

1. वाहन स्वामी फर्म शहीद रामचन्द्र एच.पी. गैस सर्विस 8.00 लाख का बन्ध पत्र एवं 8.00 लाख रुपये का जमानत नामा जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा को प्रस्तुत करे तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा वाहन टाटा 407 को रिलीज करने की तेहरीर जारी करे।
2. वाहन स्वामी वाहन की सारभूत शक्ल में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नही करेगा एवं न ही प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक उसका किसी भी प्रकार से हस्तांतरण/ अन्तरण करेगा।
3. जब्तशुदा वाहन टाटा 407 को रिलीज करते समय उसकी विडियोग्राफी करवाकर जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा रिकॉर्डिंग अभिलेख पर रखेंगे।
4. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान वाहन की आवश्यकता होने पर वाहन यथा स्थिति में माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराया जावे।

जब्त किये गये एच.पी. कंपनी के 73 भरे 69 खाली घरेलु सिलेण्डर, इण्डेन कंपनी के 9 भरे 3 खाली घरेलु सिलेण्डर एवं 3 भरे व्यवसायिक सिलेण्डर, तथा भारत कंपनी के 5 भरे 15 खाली गैस सिलेण्डर कुल 177 गैस सिलेण्डर मय उनमे भण्डारित घरेलू गैस 1287.7 किलोग्राम, विधुत मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा यह सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय द्वारा इन सिलेण्डरो को मांगे जाने पर उपलब्ध करायेंगे।

आदेश आज दिनांक 18.06.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश बैरवा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Bairwa
Date: 2020.06.18 17:43:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: